

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक : एफ 15(4)2021-22 / गोप्र / प्रमुवसं-02806

दिनांक : As per sign

**- :: कार्यालय आदेश ::-**

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 36 (ख) के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.03.2023 को आयोजित की गई थी जिसमें श्रीमती मंजू गणावा (एस.टी.) को उप वन संरक्षक बासंवाडा के आदेश क्रमांक 5706 दिनांक 29.6.2021 से राजकीय हानि राशि रूपये 1063/- की वसूली एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड के कारण पदोन्नति हेतु तत्समय उपयुक्त नहीं पाया गया था।

श्रीमती मंजू गणावा, वनपाल द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 9 (10) 2022/जांच/प्रमुवस/331 दिनांक 28.3.2023 द्वारा श्रीमती मंजू गणावा की अपील स्वीकार कर उप वन संरक्षक, बासंवाडा के दण्डादेश क्रमांक 5706 दिनांक 29.6.2021 को निरस्त किये जाने एवं श्रीमती मंजू गणावा के प्रकरण में वर्ष 2022-23 एवं प्रभावित वर्षों की वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की डी.पी.सी. को रिव्यू किए जाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.11.2024 को आयोजित की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार श्रीमती मंजू गणावा, वनपाल को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाए जाने एवं वर्ष 2023-24 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-10 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्रीमती मंजू गणावा पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही यथावत कार्यरत रहते हुए पदोन्नत पद की कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 20.11.2024 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी। उपरोक्त लोकसेवक को क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(4)2021-22/गोप्र/प्रमुवसं-02806

दिनांक : As per sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाडा।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. श्रीमती मंजू गणावा द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा।
5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)  
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by ARIJIT  
BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT  
BANERJEE  
Designation : Principal Chief  
Conservator Of Forest  
Date :12-11-2024 05:08:23